प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

सेवा में,

प्रबन्धक
श्री दत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल
गांधी नगर मनकापुर-गोण्डा
....

पत्रांक:मान्यता/ 1147-51 /2003-04 दिनांक: 29/6/04

विषय :- अशासकीय प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता अस्थायी प्रथम बार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में सूच्य है कि [illegible] बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा उ0प्र0 शासन शिक्षा [अनु0] 5 लखनऊ की राजाज्ञा संख्या:230/15-6-96-18 एस[7]/89 दिनांक:18 जनवरी,96 एवं राजाज्ञा संख्या:1873/15-6-98-18 एस[7]/89 दिनांक:10 सितम्बर,1998 तथा राजाज्ञा संख्या:1073/15-6-98-18 एस और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद के पृ0सं0:बे0शि0प0/मा0-5/78-413/99-2000 दिनांक:16-4-1999 के निर्देशन के अनुपालन में मान्यता समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर की नवीन मान्यता अस्थायी प्रथम बार दिनांक:1-7-2003 से 30-6-2008 तक इस निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पांच वर्ष अवधि के अन्दर यदि निम्न कमियां पूर्ण नहीं की गयी तो विद्यालय के स्थायीकरण प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। और यदि भविष्य में कोई गलत तथ्य प्रकाश में आता है तो आपकी संस्था की मान्यता निरस्त करने का अधिकार मान्यता समिति [illegible] होगा।

बेसिक शिक्षा परिषद तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में आपके विद्यालय के कक्षा-5 उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को कक्षा-6 में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेंगे। आप पूर्व प्राथमिक अर्थात नर्सरी/के0जी0 कक्षाएं संचालित करने हेतु अधिकृत नहीं है। शिक्षा संहिता की धारा 106 से 114 में निहित नियमों का विधिवत पालन करना अनिवार्य होगा।

मान्यता की शर्तें जिन्हें पूर्ण करें-

1- कमी प्रशिक्षित अध्यापक
2- विद्यालय की निजी भूमि भवन
3- क्रीडा स्थल की व्यवस्था।
4-
5-

भवदीय

(कमलाकर पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एवं अध्यक्ष मान्यता समिति
गोण्डा

पृ0सं0:मान्यता/ /2003-04 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- जिला समाज कल्याण अधिकारी गोण्डा।
2- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गोण्डा।
3- जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी गोण्डा।
4- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोण्डा।
5- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी... मनकापुर... गोण्डा।
6- कार्यालय प्रति। Attested true copy

(कमलाकर पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एवं अध्यक्ष मान्यता समिति,
गोण्डा

For SHREE DUTT MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
OF SCIENCE AND COMMERCE

Manager

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री दत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल आफ सांइस एवं कामर्स, (जू0हा0स्कूल)
गायत्रीनगर, वि0ख0 मनकापुर, गोण्डा

दिनांक 2 | मई 2008

पत्रांक: शि0स0/ 1447-56 /2008-09

विषय: अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा 06 से 08 तक की अस्थाई मान्यता 'ब' श्रेणी प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्र, निरीक्षण आख्या एवं अन्य आवश्यक पत्रजातों पर शासनादेश संख्या 646/15-8-97-18 एस(7)/89 दिनांक 13 अगस्त, 1997 में उल्लिखित प्राविधानों /शर्तो के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति एवं मण्डलीय सम्भागीय मान्यता समिति के निर्णय/संस्तुति पर निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ सोसाईटी श्री दत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल आफ सांइस एवं कामर्स समिति, गायत्रीनगर, पो0 व तह0 मनकापुर, गोण्डा संस्था द्वारा संचालित आपके विद्यालय श्री दत्त मेमोरियल पब्लिक स्कूल आफ सांइस एवं कामर्स, (जू0हा0स्कूल) गायत्रीनगर वि0ख0 मनकापुर, गोण्डा को अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल स्तर की) कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता (वित्त विहीन 'ब' श्रेणी) उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

विद्यालय में कुल तीन वर्ग ही मान्य होगे। अतिरिक्त उपवर्गो को संचालित करने हेतु नियमानुसार अनुमति विभाग से प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कुल पांच प्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त शिक्षक/शिक्षिका, एक लिपिक तथा एक अनचर वर्तमान मानक के अनुसार मान्य होगे।

विभागीय आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्ध:-

1- विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा (प्राइमरी) स्तर की कदापि न दी जाय और न ही किसी प्रकार की अवैधानिक कक्षाए ही संचालित की जाय।
2- विद्यालय में केवल प्रशिक्षित एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुमोदित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया हो, मान्य होगे।
3- विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठयकम ही पढाया जाय।
4- विद्यालय में विभागीय नियमों/आदेशो/निर्देशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता आदि में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
5- विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाय जो परिषद के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे है। इनका भुगतान चेक द्वारा बैंक मे खाता खोलकर बैंक के माध्यम से उनके खाते में अन्तरण द्वारा किया जाय। उल्लंघन की दशा में तत्काल मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
6- विद्यालय में विज्ञान अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति यदि नही की गई हो तो तत्काल नियुक्ति करके इस कार्यालय को अवगत करायें।
7- कीडा क्षेत्र एवं प्रागंण को चारो ओर से समतल कराया जाय तथा चारो ओर वृक्षारोपण कराया जाय।
8- विद्यालय के छात्र/छात्राओं से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय। समस्त शुल्कों का बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलकर पासबुके तथा पंजिकाए सदैव विद्यालय में सुरक्षित रखी जाय, जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी देखा जा सके।
9- भवन में जिन कक्षों की छत लिन्टर नही है उन्हें यथाशीघ्र पक्की छत में परिवर्तन कराया जाय।
10-शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में अद्यतन शासनादेश के तहत आरक्षण कोटे का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय।

भवदीय

(बृजभूषण मौर्य)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

पृष्ठांकन संख्या : शि0स0/ / 2008-09 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद/देवीपाटन मण्डल।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक अधिकारी, गोण्डा
6. रजिस्ट्रार, चिट एवं फण्ड, रीडगंज, फैजाबाद।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), गोण्डा
8. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा
9. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र।
10. संबधित समिति को
11. कार्यालय पत्रावली हेतु।

(बृजभूषण मौर्य)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

Attested true copy

For SHREE DUTT MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
OF SCIENCE AND COMMERCE

Manager